

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-02/शमन-07(A)/2015, परि०

पटना, दिनांक-.....

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के निम्नलिखित पदाधिकारियों को दिनांक-23.04.2019 से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र० सं०	पदाधिकारियों का नाम	कार्य क्षेत्र
1.	सभी परिचारी यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
2.	परिचारी प्रवर यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
3.	पुलिस निरीक्षक, यातायात	पटना नगर क्षेत्र
4.	सभी पुलिस अवर निरीक्षक, यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र

2 यह अधिसूचना दिनांक-23.04.2019 की तिथि से प्रभावी होगा।

3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

सचिव,


परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 26/4/19

ज्ञापक- 02/शमन-07(A)/2015, परि०

2906

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-02/शमन-07(A)/2015, परि०

पटना, दिनांक-.....

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के निम्नलिखित पदाधिकारियों को दिनांक-23.04.2019 से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र० सं०	पदाधिकारियों का नाम	कार्य क्षेत्र
1.	सभी परिचारी यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
2.	परिचारी प्रवर यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
3.	पुलिस निरीक्षक, यातायात	पटना नगर क्षेत्र
4.	सभी पुलिस अवर निरीक्षक, यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र

2. यह अधिसूचना दिनांक-23.04.2019 की तिथि से प्रभावी होगा।

3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के तद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 02/शमन-07(A)/2015, परि०

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजपट्ट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/-


सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 02/शमन-07(A)/2015 परि०

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार/प्रमडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना, शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय)/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना बिहार/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/मोटरवाहन निरीक्षक, पटना/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।